

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक- प्र01-संविदा निय0-28/2015 5290 खाद्य, पटना/दिनांक-09.07.15

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार चौधरी,  
सरकार के अपर सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग  
प्राप्ति

सेवा में,

प्रधान सचिव-सह-सदस्य सचिव,  
उच्च स्तरीय समिति,  
सामान्य प्रशासन विभाग,  
बिहार, पटना।

21 JUL 2015

सं० 8752003

विषय :- संविदा पर नियोजित कर्मियों के नियमितीकरण हेतु सूचनाओं का प्रेषण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-002 दिनांक-19.05.2015 के आलोक में संविदा पर नियोजित कर्मियों के नियमितीकरण पर विचारण हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना में संविदा पर नियोजित आशुलिपिक के सम्बन्ध में सूचना निम्नवत् है :-

1	प्रत्येक पद जिस पर नियोजन किया गया है, का पदनाम	आशुलिपिक
2	पदवार कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या	एक
3	किस योजना/परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया गया था तथा क्या यह योजना केन्द्रीय या राज्य की योजना थी।	किसी योजना/ परियोजना के तहत नहीं। विभागीय कार्य निष्पादन हेतु।
4	नियोजन का पद किस श्रेणी का है (समूह 'ख', 'ग', या 'घ')	पद श्रेणी निर्धारित नहीं है।
5	क्या यह पद स्वीकृत था ? अगर हाँ तो स्वीकृत्यादेश/पद सृजन आदेश	नहीं
6	क्या प्रत्येक बार का नियोजन रिक्ति के विरुद्ध हुआ था अथवा नहीं	नहीं
7	नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन/नोटिस इत्यादि की छायाप्रति (प्रत्येक पद के लिए जितने बार नियोजन किया गया है, उन सब की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय)	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लि० से अधियाचना पर प्राप्त।

8	नियोजन हेतु चयन की प्रक्रिया	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लि० से अधियाचना पर प्राप्त।
9	पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्ता	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लि० से अधियाचना पर प्राप्त।
10	क्या नियोजित कर्मी वांछित पदीय अहर्ता रखते थे अथवा नहीं।	
11	नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है अथवा नहीं।	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लि० में निबंधन होता है।
12	नियोजन हेतु नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी।	विभाग में कोई निर्धारित नहीं है।
13	उपर्युक्त नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी को नियोजन की तिथि को इस प्रकार के नियोजन की शक्ति प्रदत्त थी अथवा नहीं।	लागू नहीं
14	नियोजन पत्र/अनुबंध पत्र का नमूना (प्रत्येक बार की नियोजन प्रक्रिया के लिए)।	संलग्न
15	प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि।	छः माह
16	प्रत्येक सेवाधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक।	विभागीय कार्य की आवश्यकता को देखकर
17	प्रत्येक सेवाधि विस्तार आदेश का नमूना।	संलग्न
18	प्रत्येक पदवार मानदेय/पारिश्रमिक/वेतन/ Consolidated Pay इत्यादि की भुगतेय राशि इत्यादि की भुगतेय राशि।	रु० 15,762/-
19	जिस शीर्ष/मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी।	व्यवसायिक एवं विशेष सेवायें मद।
20	जिस नियमावली/संकल्प/परिपत्र के अन्तर्गत इन पदों का नियोजन की प्रक्रिया हुई, उनकी छायाप्रति (मूल एवं सभी संशोधनों के साथ)।	

विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव।

**\*\*ज्ञापन/प्रतिवेदन के साथ प्राप्त सभी अनुलग्नक कार्यालय में Hard Copy में संधारित है।**